बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांक :– 6/रा0ग्रा0पे0यो0 – 117/12 –230 (mp)   पटना, दिनांक :– 05/10/17

सेवा में,

कार्यपालक अभियन्ता,
लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, सीतामढ़ी।

विषय :– वर्ष 2017–18 में केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पाईप द्वारा जलापूर्ति के लिए श्रीखण्डी भिठ्ठा (पूर्वी) ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना तथा पाँच वर्षों के लिए परिचालन एवं रख–रखाव कार्य हेतु राज्यांश मद से 9.00 लाख रूपये (नौ लाख रूपये) मात्र की विमुक्ति।

केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पाईप द्वारा जलापूर्ति के लिए 31 नई ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजनाओं तथा पाँच वर्षों के लिए परिचालन एवं रख–रखाव कार्य हेतु विभागीय पत्रांक – 6/रा0ग्रा0पे0यो0–117/12 – 819, दिनांक – 09/05/13 द्वारा 13256.052 लाख रूपये की स्वीकृति दी गई है जिसमें 6628.026 लाख रूपये राज्यांश की राशि है।

2. केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पाईप द्वारा जलापूर्ति के लिए श्रीखण्डी भिठ्ठा (पूर्वी) ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना तथा पाँच वर्षों के लिए परिचालन एवं रख–रखाव कार्य हेतु सामान्य मद से 6.00 लाख रूपये एवं अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना मद से 3.00 लाख रूपये अर्थात् कुल 9.00 लाख रूपये (नौ लाख रूपये) मात्र को बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के राज्यांश मद में जमा राशि से विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. इस योजना पर होने वाला व्यय स्वीकृत राशि तक सीमित रहेगा। इस योजना के लिए कोई नये पद का सृजन नहीं किया जायेगा।

D Singh 5.10.2017
(दिनेश्वर प्रसाद सिंह)
अभियन्ता प्रमुख –सह– विशेष सचिव

ज्ञापांक – 230 (मा0)   पटना, दिनांक – 05/10/2017

प्रतिलिपि – सचिव के आप्त सचिव / अभियन्ता प्रमुख सह विशेष सचिव / मुख्य अभियन्ता (नागरिक) / मुख्य अभियन्ता (यॉंत्रिक) / क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, मुजफ्फरपुर / विशेष पदाधिकारी / अधीक्षण अभियन्ता (मो0) / अधीक्षण अभियन्ता, मुजफ्फरपुर / उप निदेशक (मू0) को अतिरिक्त 2 प्रतियों सहित / कार्यपालक अभियन्ता (मो0) / कार्यपालक अभियन्ता –सह– नोडल पदाधिकारी / सहायक अभियन्ता (मूल्यांकण) / प्रभारी, डाटा सेन्टर (बेवसाईट पर प्रकाशन हेतु) / आई0 टी0 मैनेजर / रोकड़पाल, बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन / प्रशाखा पदाधिकारी – 4 / 6 / कार्यवाह सहायक प्रशाखा–6 को अतिरिक्त 2 प्रतियों सहित संचिका में रखने हेतु लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. सदस्य सचिव, बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पाईप द्वारा जलापूर्ति के लिए श्रीखण्डी भिठ्ठा (पूर्वी) ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना तथा पाँच वर्षों के लिए परिचालन एवं रख–रखाव कार्य हेतु बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन में राज्यांश मद की हस्तानन्तरित राशि से कार्यपालक अभियन्ता, सीतामढ़ी को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से विमुक्त की जाय।

PSingh 5.10.2017
(दिनेश्वर प्रसाद सिंह)
अभियन्ता प्रमुख –सह– विशेष सचिव